भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 815

06 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रचालनात्मक शीतागार

815. श्री संदोष कुमार पी

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रचालनात्मक शीतागारों की राज्य-वार कुल संख्या और प्रत्येक राज्य में भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मौजूदा शीतागार देश भर के किसानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस मांग को पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त क्षमता आवश्यक है; और

(घ) देश भर में नए शीतागारों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में देश में 402.87 लाख एमटी की क्षमता वाले 8,831 कोल्ड स्टोरेज हैं। कोल्ड स्टोरेज का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध- I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): वर्ष 2015 में नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) द्वारा "अखिल भारतीय कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी (एआईसीआईसी-2015)" पर एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में, वर्ष 2014 में 318.23 लाख एमटी की क्षमता के सापेक्ष आवश्यक क्षमता 351.00 लाख एमटी आंकी गई थी। राज्य-वार विवरण **अनुबंध- II** पर दिया गया है।

(घ): सरकार देशभर में नाशवान बागवानी उत्पादों के लिए नए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत देशभर में 5,000 एमटी तक की क्षमता वाली कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान की जाती है। एमआईडीएच के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी निर्धारित आवश्यकताओं, मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एएपी तैयार किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज घटक, मांग/उद्यमी आधारित है, जिसके लिए सरकार की ओर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से सामान्य क्षेत्रों हेतु पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर एवं

हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, जीवंत गांवों, अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के लिए 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में सहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "कोल्ड स्टोरेज और बागवानी उत्पादों के स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत 5000 एमटी से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और कंट्रोल्ड ऐटमॉस्फियर (सीए) स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों के फसलोपरांत नुकसान को कम करना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों एवं द्वीपों के लिए 50% की दर से स्टोरेज एवं परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है। मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए यह सहायता क्रमशः 50% और 75% की दर से दी जाती है, बशर्ते कि इरैडिएशन सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाए। स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

उपर्युक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमियों द्वारा संचालित हैं, जिनके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी/अनुदान के रूप में होती है और राज्यों/उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, सरकार ने 01.00 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) आरंभ किया है। एआईएफ के तहत, 02.00 करोड़ रुपये तक के कोलैट्रल फ्री सावधि ऋण और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

अनुबंध - I

'प्रचालनात्मक शीतागार' विषय के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 815 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार देश में कोल्ड स्टोरेज का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य	संख्या	क्षमता (एमटी)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)केंद्र शासित प्रदेश(	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	45	212662
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़)केंद्र शासित प्रदेश(	7	12462
7	छत्तीसगढ़	132	586863
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1032	4086046
11	हरियाणा	388	891494
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू एवं कश्मीर	102	404814
14	झारखंड	60	250077
15	कर्नाटक	271	930379
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप)केंद्र शासित प्रदेश(	1	15
18	मध्य प्रदेश	341	1498651
19	महाराष्ट्र	672	1259932
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पुदुचेरी) केंद्र शासित प्रदेश(	4	185
26	पंजाब	780	2642715
27	राजस्थान	192	661876
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	117	627131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2489	15101408
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8831**	**40289226**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)

अनुबंध-II

'प्रचालनात्मक शीतागार' विषय के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 815 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

एनएबीसीओएनएस की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में देश में कोल्ड स्टोरेज की राज्य-वार आवश्यकता

क्र.सं.	राज्य	आवश्यक क्षमता (एमटी में)
1.	आंध्र प्रदेश	530925
2.	अरुणाचल	7508
3.	असम	71996
4.	बिहार	5123982
5.	छत्तीसगढ़	513830
6.	दिल्ली	40122
7.	गोवा	2271
8.	गुजरात	2239476
9.	हरियाणा	240395
10.	हिमाचल प्रदेश	306147
11.	जम्मू एवं कश्मीर	907842
12.	झारखंड	24951
13.	कर्नाटक	210313
14.	केरल	45874
15.	मध्य प्रदेश	1867179
16.	महाराष्ट्र	157709
17.	मणिपुर	5062
18.	मेघालय	18704
19.	मिजोरम	8920
20.	नागालैंड	8675
21.	ओडिशा	305500
22.	पंजाब	1693408
23.	राजस्थान	53395
24.	सिक्किम	2621
25.	तमिलनाडु	194640
26.	तेलंगाना	277129
27.	त्रिपुरा	8554
28.	उत्तर प्रदेश	10675137
29.	उत्तराखंड	72931
30.	पश्चिम बंगाल	9480929
31.	केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य	4539
	कुल	**35100664**
